सम्प्रभुता की अवधारणा,अर्थ,परिभाषा,प्रकार और विशेषता

Vishnu Swami Guest
Faculty Govt. College, Shiv, Barmer, Rajasthan

सार:- **किसी भौगोलिक क्षेत्र या जन समूह पर सत्ता या प्रभुत्व के सम्पूर्ण नियंत्रण पर अनन्य अधिकार को सम्प्रभुता (संप्रभुता)** (***Sovereignty)*** कहा जाता है। सार्वभौम सर्वोच्च विधि निर्माता एवं नियंत्रक होता है यानि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है/

मुख्य शब्द:- **संप्रभुता, शक्ति, कानूनी, सरकार,विधि, राजनीतिक, सर्वोच्च,अवधारणा /**

प्रस्तावना

युरोप में आधुनिक राज्य के उदय के परिणामस्वरूप सत्रहवीं सदी में 'सम्प्रभुता' की अवधारणा का जन्म हुआ। मध्य युरोप में युरोपीय राजशाहियों और साम्राज्यों में सत्ता राजा, पोप और सामंतों के बीच बँटी रहती थी। पंद्रहवीं और सोलहवीं सदी में सामंतवाद के तिरोहित होने और उधर प्रोटेस्टेंट मत के उभार के कारण कैथॅलिक चर्च की मान्यता में ह्रास होने से सम्प्रभु राज्यों को पनपने का मौका मिला। सम्प्रभुता का मतलब है - 'सम्पूर्ण और असीमित सत्ता'।उन्नीसवीं सदी से ही इसे दो भागों में बाँट कर समझा जाता रहा है : विधिक सम्प्रभुता और राजनीतिक सम्प्रभुता। इस अवधारणा को व्यावहारिक रूप से आंतरिक सम्प्रभुता और बाह्य सम्प्रभुता के तौर पर भी ग्रहण किया जाता है। सम्प्रभुता के आंतरिक संस्करण का मतलब है राज्य के भीतर होने वाले सत्ता के बँटवारे में यानी राजनीतिक प्रणाली के भीतर सर्वोच्च सत्ता का मुकाम। बाह्य संस्करण का तात्पर्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के तहत राज्य द्वारा एक स्वतंत्र और स्वायत्त वजूद की तरह सक्रिय रह पाने की क्षमता का प्रदर्शन। सम्प्रभुता की अवधारणा आधुनिक राष्ट्र और राष्ट्रवाद के आधार में भी निहित है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता, स्व-शासन और सम्प्रभुता के विचारों के मिले-जुले प्रभाव के बिना अ-उपनिवेशीकरण के उस सिलसिले की कल्पना भी नहीं की जा सकती जिसके तहत द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद एशिया, अफ़्रीका और लातीनी अमेरिका में बड़े पैमाने पर नये राष्ट्रों की रचना हुई।

सम्प्रभुता की अवधारणा :- जॉन ऑस्टिन ने 19वीं सदी में इसकी तीन व्यापक विशेषताओं को निर्धारित किया था :

[1], संप्रभुता से तात्पर्य सर्वोच्च सत्ता या सर्वोच्च अधिकार से है, जिसे एक व्यक्ति के रूप में पहचाना जा सकता है, जैसेमध्यकाल में सम्राट या आधुनिक - धित्व करने वाली संसद के काल में लोगों का प्रतिनि रूप में व्यक्ति समूह।

[2] किसी राज्य व्यवस्था में लोगों को संप्रभु (व्यक्ति)के प्राधिकार के संकेतक के रूप में उसकी आज्ञाकारिता का स्वभाविक रूप से पालन करना चाहिए।

[3] संप्रभु से बढ़ा कोई प्राधिकार नहीं होता (व्यक्ति) रहे। (संप्रभु) है जिसके अधीन वह

[4]ऑस्टिन का संप्रभुत्व अविभाज्य एवं असीम है, जो पूर्ण शक्ति का प्रतीक है।

यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने को संप्रभुता की तीसरी विशेषता के उदाहरण के रूप में देखा गया अर्थात् ब्रिटिश संसद को यूरोपीय संसद की प्रधानता को स्वीकार नहीं करना चाहिए।

संप्रभुता पर हॉब्स के विचार

*अंग्रेज दार्शनिक थॉमस हॉब्स ने अपने शास्त्रीय कृति 'लेविथान' (1651 ईमें संप्रभुता का उल्लेख (किया है।

*हॉब्स के अनुसार, अभ्यस्त या स्वाभाविक आज्ञाकारिता, जिसे व्यक्ति निभाने के लिए बाध्य है, से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा न करने वालों को कठोर कीमत चुकानी पड़ती है।

*व्यक्ति जितना अधिक स्वाभाविक आज्ञाकारिता का पालन करते हैं राज्यव्यवस्था में उनके रहने की सुविधाएँ उतनी ही अधिक बढ़ जाती हैं।

*संप्रभु की आज्ञा का पालन न करने में भय का भी एक तत्व होता है क्योंकि ऐसे में दंडात्मक उपाय शीघ्र ही लागू हो जाते हैं।

संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता

*संप्रभु के अधिकार में स्पष्ट क्षेत्रीय सीमांकन होना चाहिए जिसमें क्षेत्र के ऊपर हवाई क्षेत्र और तटरेखा की स्थिति में समुद्र में कुछ दूरी तक विस्तार शामिल है।

*संप्रभुता की क्षेत्रीय अखंडता की इस समझ में क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षित सीमाओं का विचार शामिल है। इसमें सतह के नीचे के संसाधन भी (खनिज -जैसे) शामिल होंगे। उदाहरण के लिए लंबे समय से चले आ रहे इजरायलइजरायल फिलिस्तीन विवाद में- राज्य तथा प्रस्तावित फिलिस्तीन राज्य के बीच सीमाओं की पहचान करने और फिलिस्तीनी राज्य का अपने क्षेत्र को कवर करने वाले हवाई क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं।

संप्रभुता की अवधारणा में परिवर्तन

*संप्रभुता की अवधारणा में सबसे बड़ा बदलाव यह रहा है कि इसे किसी व्यक्ति से अलग (राजा-जैसे) करके लोगों की लोकप्रिय इच्छा से जोड़ दिया गया है।

*सदियों से निरंकुश संप्रभुता से लोकप्रिय संप्रभुता की ओर यह बदलाव शायद आधुनिक समय में संप्रभुता की अवधारणा को सबसे बेहतर तरीके से दर्शाता है।

*संप्रभुता की अवधारणा में राज्य की सत्ता को ऊपर रखकर उसके रहस्यवाद को उजागर किया जा सकता है।

संप्रभुता का बहुलवादी दृष्टिकोण

*फ्रांसीसी दार्शनिक मिशेल फौकॉल्ट ने आग्रह किया कि संप्रभु या राजा का सिर काट देना आवश्यक है क्योंकि सत्ता एक केंद्रीकृत रूप में मौजूद नहीं है बल्कि वह अधिक विस्तृत एवं जटिल रूपों में मौजूद है।

*यहाँ संप्रभु शक्ति का विचार हमारे बाहर नहीं है, बल्कि हमारे चारों ओर है, जो हमें अनुशासित करती है।

* संप्रभु शक्ति हमारे भीतर भी कार्य करती है क्योंकि यह जीवन की स्थितियों को नियंत्रित करती है जिसे 'जैवराजनीति-' कहा जाता है।

*ऐसे विचारों ने संप्रभुता की अवधारणा को पूरी तरह से अलग तरह का अर्थ प्रदान किया है।

*अंग्रेज बहुलवादियों नामक एक अति प्रसिद्ध सिद्धांतकारों का समूह है, जिन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में संप्रभुता के एक लचीला एवं बहुलवादी संस्करण को प्रस्तुत किया।

*जीकोल एवं हेरोल्ड लॉस्की जैसे अंग्रेज .एच.डी. बहुलवादियों ने तर्क दिया कि संघ व समूह, जो राज्य तथा व्यक्ति के बीच एक मध्यवर्ती स्तर पर मौजूद थे जैसे कि ट्रेड गिल्ड या ट्रेड यूनियन, भी संप्रभुता के पहलुओं को बनाए रखते हैं।

*इस तरह राज्य कुछ विशेष श्रेष्ठता बनाए रखने के बजाए कई अन्य संघों के बीच एक संघ था।

*लचीली संप्रभुता के विपरीत कार्ल श्मिट)20वीं सदीने संप्रभुता की (बहुत ही कठोर अवधारणा प्रस्तुत की है।

संप्रभुता पर कार्ल श्मिट के विचार

*श्मिट के अनुसार, संप्रभुता की अवधारणा एक ऐसा आधिकारिक राजनीतिक निर्णय है जिसमें अपवाद की स्थिति बनाने की क्षमता है।

*'अपवाद की स्थिति' (State of Exception) शब्द का अर्थ है वह बिंदु जहाँ न्यायिक व्यवस्था किसी आपात स्थिति या खतरे के कारण उलट दी जाती है और राजव्यवस्था के लिए जो भी उचित समझा जाता है उसे करने के रूप में संप्रभु की इच्छा हावी हो जाती है|

संप्रभूता का अर्थ:- संप्रभुता शब्द लैटिन भाषा के 'सुप्रेनस' शब्द से बना है जिसका अर्थ है सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता को अंग्रेज़ी में 'soveregnty' कहते हैं| संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य के पास अपने मामलों को संचालित करने और निपटाने के लिए सभी अधिकार और शक्ति हैं। संप्रभुता का मतलब है कि राज्य की सर्वोच्च इच्छा शक्ति है। किसी देश या राज्य की अपनी सीमाओं के अंदर सर्वोच्च शक्ति होना|संप्रभुता का मतलब है कि सरकार अपने लोगों को नियंत्रित कर सकती है और किसी दूसरी सरकार के अधीन नहीं है.|संप्रभुता के लिए ज़रूरी है कि सरकार आज़ाद हो, यानी कि किसी दूसरी सरकार के नियंत्रण से मुक्त हो|.

संप्रभुता के प्रकार :-

✓आंतरिक संप्रभुता

✓बाहरी संप्रभुता

✓कानूनी संप्रभुता,

✓राजनीतिक संप्रभुता,

✓ विधि सम्मत संप्रभुता

✓वास्तविक संप्रभुता.

आंतरिक संप्रभुता:-आंतरिक संप्रभुता का मतलब है कि किसी राज्य के पास अपने क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति होती है और वह अपने नागरिकों पर नियंत्रण रख सकता है. यह एक स्वतंत्र राज्य का सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार है|

*आंतरिक संप्रभुता का मतलब है कि राज्य, अपने क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों और संगठनों को आज्ञा दे सकता है और उन आज्ञाओं को मनवा सकता है|

*आंतरिक संप्रभुता में, राज्य अपनी सीमाओं के अंदर निर्णय लेता है और कानून लागू करता है|

*आंतरिक संप्रभुता, राज्य और उसके नागरिकों के बीच संबंधों को बताती है|

*आंतरिक संप्रभुता, बाहरी संप्रभुता के विपरीत होती है,बाहरी संप्रभुता का मतलब है कि किसी देश के पास किसी भी बाहरी हस्तक्षेप के बिना अपने क्षेत्र में अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने की शक्ति हो| संघात्मक राज्यों में, जैसे कि भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और अमेरिका में, आंतरिक संप्रभुता केंद्र और परिधि के बीच साझा होती है| लोकतंत्रों के युग में, आंतरिक संप्रभुता के मसले अब इतने अहम नहीं माने जाते, लेकिन बाहरी संप्रभुता का महत्व बढ़ गया है.।

बाहरी संप्रभुता:-किसी देश की अपनी ओर से दूसरे देशों के साथ व्यवहार करने की शक्ति को बाहरी संप्रभुता कहते हैं. यह किसी देश की स्वतंत्रता और आज़ादी का एक अहम पहलू है. बाहरी संप्रभुता के कुछ उदाहरण ये हैं: किसी देश का दूसरे देशों के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत करना, संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों में शामिल होना,अपने सैन्य गठबंधनों के बारे में फ़ैसला लेना,अपनी विदेश नीति तय करना,अपनी पसंद के किसी भी शक्ति समूह में शामिल होना ।

कानूनी संप्रभुता :-किसी राज्य में सर्वोच्च कानून बनाने और लागू करने का अधिकार रखने वाला निकाय यह एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह हो सकता है| कानूनी संप्रभुता, किसी राज्य के क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एकमात्र कानून बनाने का अधिकार होती है|

राजनीतिक संप्रभुता:-राजनीतिक संप्रभुता का मतलब है कि किसी देश में अंतिम शक्ति जनता के हाथों में होती है. जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और कानून बनाने या लागू करने के लिए सीधे सशक्त नहीं होती, लेकिन कानूनों और सरकारों को प्रभावित कर सकती है।

विधि सम्मत संप्रभुता:-विधि सम्मत संप्रभुता को किसी के अपने देश पर स्वतंत्र कानूनी शासन के

रूप में परिभाषित किया जाता है। यह सरकार का यह विश्वास है कि उन्हें अपने क्षेत्र, सेना, वित्त और लोगों को नियंत्रित करने का अधिकार है। उस विशेष देश की सरकार के पास अपने नागरिकों के लिए काम करने की क्षमता होती है। इसमें वित्तीय निर्णय लेना, कानून बनाना और देश के नागरिकों पर शासन करने के अन्य सभी पहलुओं का प्रबंधन करना शामिल हो सकता है। इसे कानूनी संप्रभुता भी कहा जा सकता है। विधि सम्मत संप्रभुता का निर्धारण केवल सरकार के आंतरिक रूप से और उसके नागरिकों के साथ उसके संबंधों को देखकर किया जाता है।

वास्तविक संप्रभुता:-वास्तविक संप्रभुता यह है कि कानूनी अधिकार या वास्तविक संप्रभुता वास्तव में मौजूद है या नहीं। देश आमतौर पर कई तरीकों से यह तय करते हैं कि किसी दूसरे देश के पास वास्तविक संप्रभुता है या नहीं। सबसे पहले, वे देखते हैं कि क्या नेतृत्व को नागरिकों द्वारा सत्ता में रखा गया था और क्या जनता का सम्मान है। वे यह भी देखते हैं कि क्या नेतृत्व व्यापार कर सकता है और बाजारों को नियंत्रित कर सकता है। अंत में, वास्तविक संप्रभुता इस बात से निर्धारित होती है कि क्या राष्ट्रीय नेतृत्व अपने कानूनों को लागू कर सकता है और एक कार्यशील राज्य के सभी कर्तव्यों को पूरा कर सकता है।

संप्रभुता के सिद्धांत के जनक *जॉन ऑस्टिन* को माना जाता है. उन्होंने अपने सिद्धांत को साल 1832 में प्रकाशित हुई अपनी किताब *'लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस'* में पेश किया था. ऑस्टिन के सिद्धांत को संप्रभुता का अद्वैत सिद्धांत कहा जाता है|

ऑस्टिन के सिद्धांत के मुताबिक:-

संप्रभुताधारी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ही सर्वोच्च शक्ति होता है|

#संप्रभुता का विभाजन नहीं किया जा सकता|

#कानून संप्रभु का आदेश होता है,प्रभुसत्ताधारी सहित होने पर ही कोई समाज राजनीतिक और स्वतंत्र होता है|

संप्रभुता शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल फ़्रांसीसी विचारक बोंदा ने 1756 में अपनी किताब *'Six Book Concerning Republic'* में किया था| आधुनिक संप्रभुता की धारणा के जनक जीन-जैक्स रूसो को माना जाता है|

परिभाषा: - स्ट्राउड की न्यायिक डिक्शनरी "संप्रभुता को सरकार के एक ऐसे रूप के रूप में परिभाषित करती है जिसका प्रशासनिक नियंत्रण किसी राज्य पर होता है और वह किसी अन्य राज्य के अधीन नहीं होता है।"

वेस्टफेलियन परिभाषा के अनुसार "संप्रभुता प्रादेशिकता के सिद्धांतों और राज्यों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करने पर टिकी हुई है। कई राज्यों द्वारा उस व्याख्या का समर्थन करने वाली भाषा का उपयोग करने के बावजूद, इस क्षेत्र में संप्रभुता को परिभाषित करने के लिए तीन सूक्ष्म-भेद वाले दृष्टिकोण हैं।"

संप्रभूता के लक्षण:

✓चरमता

✓सर्वव्यापकता

✓स्थायित्व

✓अभाज्यता

संप्रभुता की विशेषता:-

✓संप्रभुता सर्वोच्च और असीम होती है. इसे विधि के ज़रिए भी सीमित नहीं किया जा सकता|

✓संप्रभुता राज्य की मौलिक शक्ति है. यह शक्ति राज्य को किसी और से नहीं मिलती, बल्कि वह इसे खुद हासिल करता है और इसका इस्तेमाल भी खुद ही करता है|

✓संप्रभुता स्थायी होती है. प्रजातांत्रिक देशों में सरकार बदलने से संप्रभुता पर कोई असर नहीं पड़ता|

✓संप्रभुता सर्वव्यापक होती है. देश की पूरी ताकत और मानव समुदाय संप्रभुता के अधीन रहते हैं|संप्रभुता आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के मामलों में पूरी तरह से आज़ाद होती है. संप्रभुता के ऊपर किसी दूसरी शक्ति का नियंत्रण नहीं होता|

निष्कर्ष

संप्रभुता का निष्कर्ष है कि किसी देश के पास अपनी जनता को नियंत्रित करने और खुद का समर्थन करने की क्षमता होती है| संप्रभुता का मतलब है कि किसी देश के पास अपने मामलों से निपटने और संचालन करने के लिए सभी अधिकार और शक्ति हैं|संप्रभुता देश का अपना स्वतंत्र अधिकार है और वह किसी बाहरी संस्था के नियंत्रण में नहीं है| राज्य की सरकार अपने देश को नियंत्रित करने का एकमात्र संप्रभु अधिकार रखती है, राज्य अपनी संप्रभुता को साझा करने के लिए अनिच्छुक रहता है,सर्वोच्च इच्छा शक्ति का दूसरा नाम है| संप्रभुता राज्य के पास अपने क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च प्राधिकरण होता है,राज्य के पास अन्य राज्यों की ओर से मान्यता होती है,अन्य राज्यों के साथ समान स्तर पर कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भाग लेने का प्रवेश द्वार होता है ।

सन्दर्भ:

[1]कृष्णा मेनन (2008), 'सॉवरनिटी', राजीव भार्गव और अशोक आचार्य (सम्पा.), पॉलिटिकल थियरी : ऐन इंट्रोडक्शन, पियर्सन लोंगमेन, नयी दिल्ली

[2] ज्याँ हैम्पटन (1988), हॉब्स ऐंड द सोशल कांट्रेक्ट ट्रेडीशन, केम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रेस, केम्ब्रिज, यूके.

[3] डेविड हेल्ड (1989), पॉलिटिकल थियरी टुडे, पॉलिटी प्रेस, केम्ब्रिज, यूके

[4] एफ़.एच. हिंसले (1986), सोवरिनटी, केम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रेस, केम्ब्रिज, यूके

[5]The lite sovereignty by G.Harihar and other

[6] संस्कृति IAS Notes reffer